न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रामसर, जिला–बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी :– राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 56/2025

अनवान

वदीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आसूराम पुत्र गेना उम्र 66 वर्ष 2. प्रहलादराम उर्फ पेलादराम पुत्र गेना उम्र 62 वर्ष जाति जाट, निवासी रूघनाथ पूनियों की ढ़ाणी, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर		1. पेलाद पुत्र सालू उम्र 52 वर्ष 2. पोकर पुत्र सालू उम्र 62 वर्ष 3. मु. सोनी पत्नी सालू उम्र 84 वर्ष जाति जाट, निवासी रूघनाथ पूनियों की बस्ती, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर 4. जोगाराम पुत्र मेहाराम उम्र 45 वर्ष 5. ठाकराराम पुत्र मेहाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट, निवासी सांईयों की बस्ती, धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा–रामसर 7. श्रीमान तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक रामसर, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते विभाजन एवं पाने स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 से 5
4. राज पेरोकार

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रामसर जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.05.2026

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम रूघनाथ पूनियों की ढ़ाणी, पटवार हल्का चाडार मदरूप, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 122 रकबा 19.9105 हैक्टेयर का आया हुआ हैं जिसमें वादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/6, वादी संख्या 2 का खातेदारी हिस्सा 1/6 + 23/123 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/9 – 1/9, प्रतिवादी संख्या 4 से 5 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 3/41 – 3/41 आया हुआ हैं। जो राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक दर्ज हैं। इसी हिस्सा अनुसार मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त हैं किन्तु वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाति होने व विभाजन किया हुआ नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने हेतु कृषि ऋण आदि लेने में भारी परेशानियां आने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अपने परिवार सहित वादीगण के हिस्से की भूमि पर काश्त के समय सेढ़े पर अनावश्यक विवाद करते रहते हैं तथा वादीगण को झूठे मुकदमों में फंसाने की ऐलानियां धमकियां भी दे

सहायक कलक्टर, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

हैं जबकि वादीगण अपने हिस्से की भूमि का कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाने का अधिकारी होने से यह वाद विभाजन का वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय मे दिनांक 09.07.2025 को पेश किया गया हैं।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तामिली की गई। बाद तामिली प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा उपस्थित हुए ओर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी उपस्थित हुए ओर प्रतिवादी संख्या 4 से 5 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया प्रतिवादी संख्या 6 बाद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 11.03.2026 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 11.03.2026 को प्राथमिक डिकी इस अमर की सादिर जारी की गई कि ग्राम रूघनाथ पूनियों की ढ़ाणी, पटवार हल्का चाडार मदरूप, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 122 रकबा 19.9105 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार रामसर से चाहा गया जो तहसीलदार रामसर द्वारा कमांक/भू.अ./1296 दिनांक 06.05.2026 द्वारा प्रेषित किया गया जो इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :–

सहायक कलक्टर (रा.) रामसर जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
01	आसूराम पुत्र गेना 41/128, प्रहलादराम पुत्र गेनाराम 87/128 जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन आसुराम का हिस्सा बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा रामसर में रहन	122 122	5.4484 4.7367	बा.सो. बा. सो.	0.16 0.15	नीला
		02	**10.1851**	**बा.सो.**	**0.31**	
02	जोगाराम पुत्र मेहाराम 1/2, ठाकराराम पुत्र मेहाराम 1/2 जाति जाट, सा. सांइयों खातेदार	122 122	2.3915 0.4731	बा.सो. बा.सो.	0.07 0.01	गुलाबी
		02	**2.8646**	**बा.सो.**	**0.08**	
03	पेलाद पुत्र सालू 1/3 जाति जाट, पोकर पुत्र सालू 1/3 जाति जाट, सोनी देवी पत्नी सालूराम 1/3 जाति जाट, सा. देह खातेदार	122 122	3.1964 3.3284	बा.सो. बा.सो.	0.10 0.10	आसमानी
		02	**6.5248**	**बा.सो.**	**0.20**	
04	आसूराम पुत्र गेना 1/6, जोगाराम पुत्र मेहाराम 3/41, ठाकराराम पुत्र मेहाराम 3/41, प्रहलादराम पुत्र गेना 1/6,	122	0.3360	बा.सो.	0.01	काला

सहायक कलक्टर, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

	पेलाद पुत्र सालू 1/9, पेलादराम पुत्र गेनाराम 23/123, पोकर पुत्र सालू 1/9, सोनी देवी पत्नी सालूराम 1/9, जातियान जाट सा. देह खातेदार रहन आसूराम पुत्र गेना का सम्पूर्ण हिस्सा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामसर	01	0.3360	बा.सो.	0.01	

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड एवं आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करते हुए राजस्व नियम 18 से 21 की पालना के तहत ही तैयार कर प्रेषित किया गया होने से इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावें तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के अधिवक्ता द्वारा भी वादीगण अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपति प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई हैं ओर न ही उक्त विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त के अनुरूप तैयार किया गया हैं इसलिए तहसीलदार रामसर से पुनः राजस्व नियम 18 से 21 की पालना के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तओं की बहस पर मनन एवं विभाजन प्रस्ताव का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व नियम 18 से 21 की पालना के तहत तहसीलदार रामसर द्वारा स्वंय भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के साथ मौका निरीक्षण कर मौके पर उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस सूचना दी जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में एवं उभयपक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड, आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया होना प्रतित होता हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई आपतियां सारहीन होना साबित हैं लिहाजा तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री जारी किये जाने में इस न्यायालय को कोई आपति प्रतित नहीं होती हैं। अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर दी जाती हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
		122	5.4484	बा.सो.	0.16	नीला
01	आसूराम पुत्र गेना 41/128, प्रहलादराम पुत्र गेनाराम	122	4.7367	बा. सो.	0.15	

सहायक कलक्टर, रामसर

	87/128 जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन आसुराम का हिस्सा बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा रामसर में रहन	**02**	**10.1851**	**बा.सो.**	**0.31**	
02	जोगाराम पुत्र मेहाराम 1/2, ठाकराराम पुत्र मेहाराम 1/2 जाति जाट, सा. सांइयों खातेदार	122 122 **02**	2.3915 0.4731 **2.8646**	बा.सो. बा.सो. **बा.सो.**	0.07 0.01 **0.08**	गुलाबी
03	पेलाद पुत्र सालू 1/3 जाति जाट, पोकर पुत्र सालू 1/3 जाति जाट, सोनी देवी पत्नी सालूराम 1/3 जाति जाट, सा. देह खातेदार	122 122 **02**	3.1964 3.3284 **6.5248**	बा.सो. बा.सो. **बा.सो.**	0.10 0.10 **0.20**	आसमानी
04	आसूराम पुत्र गेना 1/6, जोगाराम पुत्र मेहाराम 3/41, ठाकराराम पुत्र मेहाराम 3/41, प्रहलादराम पुत्र गेना 1/6, पेलाद पुत्र सालू 1/9, पेलादराम पुत्र गेनाराम 23/123, पोकर पुत्र सालू 1/9, सोनी देवी पत्नी सालूराम 1/9, जातियान जाट सा. देह खातेदार रहन आसूराम पुत्र गेना का सम्पूर्ण हिस्सा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामसर	122 **01**	0.3360 **0.3360**	बा.सो. **बा.सो.**	0.01 **0.01**	काला

तहसीलदार रामसर को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद और नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर, रामसर
सहायक कलक्टर
रामसर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रामसर जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर कर मुहर अदालत के जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
रामसर
सहायक कलक्टर, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रामसर, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :– राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 56/2025

अनवान

वदीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आसूराम पुत्र गेना उम्र 66 वर्ष 2. प्रहलादराम उर्फ पेलादराम पुत्र गेना उम्र 62 वर्ष जाति जाट, निवासी रूघनाथ पूनियों की ढ़ाणी, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर		1. पेलाद पुत्र सालू उम्र 52 वर्ष 2. पोकर पुत्र सालू उम्र 62 वर्ष 3. मु. सोनी पत्नी सालू उम्र 84 वर्ष जाति जाट, निवासी रूघनाथ पूनियों की बस्ती, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर 4. जोगाराम पुत्र मेहाराम उम्र 45 वर्ष 5. ठाकराराम पुत्र मेहाराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट, निवासी सांईयों की बस्ती, धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा–रामसर 7. श्रीमान तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक रामसर, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते विभाजन एवं पाने स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 से 5
4. राज पेरोकार

–:: अंतिम डिक्री पर्चा ::–

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आज तारीख 27.05.2026 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) रामसर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर हुक्म एवं अंतिम डिक्री दी जाती है कि :–

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील रामसर, पटवार चाडार मदरूप, मौजा रूघनाथ पूनियों की ढ़ाणी के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 19.9105 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक् खातेदारी में घोषित की जाती है।

सहायक कलक्टर, रामसर

क्रम	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
01	आसूराम पुत्र गेना 41/128, प्रहलादराम पुत्र गेनाराम 87/128 जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन आसुराम का हिस्सा बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा रामसर में रहन	122 122 **02**	5.4484 4.7367 **10.1851**	बा.सो. बा. सो. **बा.सो.**	0.16 0.15 **0.31**	नीला
02	जोगाराम पुत्र मेहाराम 1/2, ठाकराराम पुत्र मेहाराम 1/2 जाति जाट, सा. सांइयों खातेदार	122 122 **02**	2.3915 0.4731 **2.8646**	बा.सो. बा.सो. **बा.सो.**	0.07 0.01 **0.08**	गुलाबी
03	पेलाद पुत्र सालू 1/3 जाति जाट, पोकर पुत्र सालू 1/3 जाति जाट, सोनी देवी पत्नी सालूराम 1/3 जाति जाट, सा. देह खातेदार	122 122 **02**	3.1964 3.3284 **6.5248**	बा.सो. बा.सो. **बा.सो.**	0.10 0.10 **0.20**	आसमानी
04	आसूराम पुत्र गेना 1/6, जोगाराम पुत्र मेहाराम 3/41, ठाकराराम पुत्र मेहाराम 3/41, प्रहलादराम पुत्र गेना 1/6, पेलाद पुत्र सालू 1/9, पेलादराम पुत्र गेनाराम 23/123, पोकर पुत्र सालू 1/9, सोनी देवी पत्नी सालूराम 1/9, जातियान जाट सा. देह खातेदार रहन आसूराम पुत्र गेना का सम्पूर्ण हिस्सा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामसर	122 **01**	0.3360 **0.3360**	बा.सो. **बा.सो.**	0.01 **0.01**	काला

तहसीलदार रामसर इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर नक्शा ट्रैस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार आज दिनांक 27.05.2026 को अंतिम डिक्री जारी की जाती हैं।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर, रामसर
रामसर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रामसर जिला बाड़मेर

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, रामसर
रामसर

Scanned with OKEN Scanner